FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

ममता सारस्वत पत्नि राजेश कुमार शर्मा निवासी नवल बिहारीजी के मंदिर के पीछे, करौली तहसील व जिला करौली — अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा), करौली — रेस्पोण्डेण्ट

मु.नं. 15/2020 किस्म मुकदमा—अपील सूचना का अधिकार अधि. 2005 ता.रजु 16.03.2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16.03.2020	अपीलाण्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा), करौली को आवेदन प्रेषित कर कुल 2 बिन्दूओं से संबंधित सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की गई है। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा), करौली द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह अपील पेश की है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा), करौली के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। अतः अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील पेश कर सकता है। निर्णय की प्रति अपीलाण्ट को भिजवाई जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, करौली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.06.04 14:15:38 IST
Reason: SelfAttested